

भारतीय डाक विभाग
Department of Posts
India



पटना उच्च न्यायालय
Patna High Court
1916-2016

विवरणिका BROCHURE



तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

जारी करने की तारीख Date of Issue	:	18 अप्रैल, 2015 18 April, 2015
मूल्यवर्ग Denomination	:	500 पैसा 500 p
मुद्रित डाक-टिकटें Stamps Printed	:	6.0 लाख* 0.6 Million*
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	:	वेट ऑफसेट Wet Offset
मुद्रक Printer	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद Security Printing Press, Hyderabad

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास हैं।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

*1 लाख प्रस्तावक हेतु
*0.1 Million for the proponent

मूल्य ₹ 5.00

पटना उच्च न्यायालय

भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1912 को की गई उद्घोषणा के माध्यम से पूर्व में बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के अधिकार-क्षेत्र में शामिल बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। 9 फरवरी, 1916 के पेटेंट पत्र के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया और कटक में इसकी सर्किट पीठ बनाई गई। 26 फरवरी, 1916 से अर्थात् पूर्वोक्त पेटेंट पत्र भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से, पटना उच्च न्यायालय को सुपुर्द किए गए दीवानी, आपराधिक, नौवहन, वैवाहिक, वसीयत और वसीयत रहित, नामांकन आदि संबंधी सभी मामलों पर बंगाल के फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय का न्यायाधिकार समाप्त हो गया। इस प्रकार, पाटलिपुत्र के इस प्राचीन नगर को 1916 में अपना उच्च न्यायालय प्राप्त हुआ। सर एडवर्ड मेनार्ड डे शॉपस शेमियर, केटी, बैरिस्टर-एट-लॉ इसके प्रथम प्रधान न्यायाधीश और सर्वश्री सैयद शफुद्दीन, बैरिस्टर-एट-लॉ, एडमंड पेले वैंपमैन, आई.सी.एस., बसंत कुमार मलिक, आई.सी.एस., फ्रांसिस रेजिनील्व रो, आई.सी.एस., सेसिल एटकिन्सन, बैरिस्टर-एट-लॉ तथा ज्वाला प्रसाद, बी.ए. एलएलबी इस उच्च न्यायालय के प्रथम प्युने अर्थात् कनिष्ठ न्यायाधीश बने।

पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेनशर्स्ट द्वारा 1 दिसम्बर, 1913 को रखी गई। निर्माण कार्य संपन्न होने के उपरांत इस भवन का औपचारिक उद्घाटन भी वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा ही 3 फरवरी, 1916 को आयोजित एक विशेष दरबार में किया गया। 1 मार्च, 1916 से उच्च न्यायालय में कामकाज प्रारंभ हो गया, जब माननीय प्रधान न्यायाधीश ने बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की औपचारिक घोषणा की ओर साथ ही यह ऐलान किया कि प्रांत से संबंधित बंगाल के फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में आने वाले सभी मामले अब पटना उच्च न्यायालय में हस्तांतरित होंगे।

प्रधान न्यायाधीश और छह कनिष्ठ न्यायाधीशों की देख-रेख में पटना उच्च न्यायालय में 1916 में कार्य आरंभ हुआ। वर्ष 1947 में इस न्यायालय में 9 स्थायी न्यायाधीश तथा 3 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। 1937 में उड़ीसा के अलग प्रान्त के रूप में गठन के बावजूद, इसके प्रांतीय क्षेत्र पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में बने रहे। यह व्यवस्था 26 जुलाई, 1948 तक जारी रही, जब उड़ीसा के लिए एक अलग उच्च न्यायालय बना दिया गया। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित 29 स्थायी न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। जमुई तथा शिवहर हेतु क्रमशः 2005 और 2012 में न्यायाधीशपद की व्यवस्था होने के बाद बिहार राज्य में किलहाल कुल 31 न्यायाधीशपद हैं।

कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों के विभाजन की व्यवस्था सर्वप्रथम 3 जनवरी, 1950 को पटना तथा शाहबाद जिलों में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद से इसे राज्य के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे सभी मजिस्ट्रेट और मुंसिफ-मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीशों के माध्यम से उच्च न्यायालय के नियंत्रणाधीन होंगे और किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई के लिए मुंसिफ अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्तांतरित कर दिए जाने के बाद उस मामले में जिला अथवा उप-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की आगे कोई भूमिका नहीं होगी।

डाक विभाग, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार :-

मूलपाठ	: प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित
डाक-टिकट/प्रथम दिवस आवरण	: ब्रह्म प्रकाश
विरूपण	: अलका शर्मा

PATNA HIGH COURT

The territories of Bihar and Orissa which were formerly subject to and included within the limits of the Presidency of Fort William in Bengal, were promoted to the status of a separate province, through the Proclamation made by the Governor-General of India on the 22nd March, 1912. By Letters Patent, dated the 9th February, 1916 the Patna High Court was ushered into existence with Circuit sittings at Cuttack, and from the 26th February, 1916, the date on which the aforesaid Letters Patent was published in the Gazette of India, the High Court of Judicature at Fort William in Bengal ceased to exercise jurisdiction, Civil, Criminal, Admiralty, Matrimonial, Testamentary and Intestate, Enrolment, etc. in all matters in which jurisdiction was given to the High Court of Judicature at Patna. Thus, the ancient city of Pataliputra had a High Court of its own in 1916 with Sir Edward Maynard Des Champs Chamier, Kt. Barrister-at-Law as its first Chief Justice and Sarvashri Saiyid Sharfuddin, Barrister-at-Law, Edmund Pelly Chapman, I.C.S., Basant Kumar Mullick, I.C.S., Francis, Reginald Roe, I.C.S, Cecil Atkinson, barrister-at-Law and Jwala Prasad, B.A., LL.B., as Puisne Judges.

The foundation-stone of the High Court Building was laid on 1st December, 1913 by His Excellency the late Viceroy and Governor-General of India, Lord Hardinge of Penshurst. The Patna High Court building on its completion was formally opened by the Viceroy in a durbar held for the purpose on 3rd February, 1916. The High Court commenced work from the 1st March, 1916 when the Chief Justice announced the establishment of a High Court of Judicature for the province of Bihar and Orissa and the transfer of Jurisdiction hitherto exercised in the province by the High court of Judicature at Fort

William in Bengal to this Court.

The Patna High Court started its work in 1916 with the Chief Justice and six puisne Judges. In the year 1947, the sanctioned strength of the Court was nine permanent and three additional Judges. Though a separate province for Orissa was created in the year 1937, Patna High Court continued to exercise jurisdiction over the territories of that province till 26th July, 1948, when a separate High Court was constituted for Orissa. At present there are 29 permanent Judges including the Chief Justice and 14 Additional Judges. At present there are altogether 31 Judgeship in the State of Bihar with the creation of Jamui and Sheohar Judgeship in the years 2005 and 2012 respectively.

The scheme of separation of executive and judicial functions was introduced for the first time on 3rd January, 1950 in the districts of Patna and Shahabad. It has since been introduced in all the districts of the State. This scheme envisages that all magistrates and Munsif-Magistrates trying criminal cases should be under the control of the High Court through the Sessions Judges and that the District and the Sub divisional Magistrates should not have anything further to do with a criminal case after it has been transferred for trial to munsif or a Judicial Magistrate.

Department of Posts is happy to celebrate 100 years of the High Court of Judicature, Patna by issuing a commemorative postage stamp on Patna High Court.

Credits:-

Text	: Based on the material provided by proponent.
Stamp/FDC	: Brahm Prakash
Cancellation	: Alka Sharma